"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2007 — वैशाख 7, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल, 2007

क्रमांक ई— 1— 1/2007/एक/ 2.— श्री अजयपाल सिंह, भा.प्र.से. (1986), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007

2. श्री अजयपाल सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 1954 के नियम - 9 के तहत आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर दिनांक 10 अप्रैल, 2007

क्रमांक ई—7/44/2004/1/2.— श्री विकास शील, भा.प्र.से., प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर को दिनांक 18-04-2007 से 28-04-2007 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 29 अप्रैल, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शील आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शील को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शील अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर दिनांक 10 अप्रैल, 2007

क्रमांक 917/611/2007/1/2.— श्री संजय गर्ग, भा.प्र.से., कलेक्टर, कोरबा को दिनांक 30-04-2007 से 11-05-2007 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 29-04-2007 एवं 12, 13 मई, 2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गर्ग आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरबा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री गर्ग के उक्त अवकाश अवधि में श्री सुधाकर खलखो, अपर कलेक्टर, कोरबा अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, कोरबा का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.के. बाजपेयी, उप सचिव.

रायपुर दिनांक 13 अप्रैल, 2007

क्रमांक एफ 4-7/2005/1/एक.— राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 06 फरवरी से 9 फरवरी, 2007 तक (4 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर दिनांक 19 मार्च, 2007

क्रमांक - एफ-5-8/दो/आठ-परि./2007.— राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग क) में अंतर्विष्ठ उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़-झारखंण्ड राज्य के मध्य अन्तर्राज्यीय मार्गों तथा जगदलपुर / बिलासपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित मार्गों का मंजिली गाड़ी संचालन हेतु निम्नानुसार सम्पूर्ण मार्ग या उसके भाग के लिए विनिश्चितकरण (Route Formulation) करती है :-

1. अंतर्राज्यीय मार्ग -

सं क्र. (1)	मार्ग का नाम (2)	व्याहाज (3)
1	रांची से रायपुर	बेढ़ो, गुमला, जशपुर, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगढ़, सरायपाली
2	रांची से कोरबा	बेढ़ो, सिसई, गुमला, जशपुर
3	भवनाथपुर से रायपुर	नगरखार, गढ़वा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कटघोरा, बिलासपुर, नांदघाट, सिमगा
4	डाल्टेनगंज से जशपुरनगर	महुआडांड, नेतरहाट, गुमला
5	खुंटी से जशपुरनगर	रांची, गुमला, शंख
6	रामगढ़ से जशपुरनगर	रांची, बेडों, गुमला, शंख
7	लवाकेरा से रांची	कुरडेग, सिमडेगा, तोरपा, खुंटी
8	रांची से रायगढ़	लोहरदगा, गुमला, जशपुरनगर, कुनकुरी, तपकरा
9	रांची से अंबिकापुर	लोहरदगा, घाघरा, नेतरहाट, महुआडांड, कुसमी, अंबिकापुर
10	गुमला से कुसमी	चैनपुर, डुमरी, गोविन्दपुर, जशपुरनगर, मनोरा
11	मिसगेडा से जशपुरनगर	कुरडेग, तपकरा, कुनकुरी
12	रांची से कुसमी	सिसई, गुमला, डुमरी, महुआडांड
13	गुमला से जशपुरनगर	चैनपुर, बिखमपुर, गोविन्दपुर
14	गुमला से लवाकेरा	शंख, लोदाम, जशपुरनगर, कुनकुरी, तपकरा
15	लोहरदगा से अंबिकापुर	गुमला, जशपुरनगर, पत्थलगांव, सीतापुर
16	गुमला से अंबिकापुर	जशपुरनगर, कुसमी
17	गुमला से पत्थलगांव	जशपुरनगर, कुनकुरी, कांसाबेल
18	रायगढ़ से डाल्टेनगंज	सिमगा, नांदघाट, बिलासपुर, कटघोरा, अंबिकापुर, रामानुजगंज, गढ़वा, पलामू

(1)	(2)	(3)
19	अंबिकापुर से बोधगया	रामानुजगंज, औरंगाबाद, डोभी
20	जशपुरनगर से राजगीर	गुमला, कुरू, चतरा, गया, हिसुआ
21	रायगढ़ से सासाराम	धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, अंबिकापुर, डाल्टेनगंज, औरंगाबाद
22	पटना से अंबिकापुर	जहानाबाद, गया, शेरघाटी, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज
23	पटना से अंबिकापुर	विहटाअरबल, दाउदनगर, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज
24	जशपुरनगर से सासाराम	औरंगाबाद,डाल्टेनगंज, लातेहरा, कुरू, लोहरदगा, गुमला
25	भभुआ से अंबिकापुर	सासाराम, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज
26	आरा से अंबिकापुर	विक्रमगंज, सासाराम, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज
27	पटना से जशपुरनगर	बिहारशरीफ, बरीह, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला
28	रायगढ़ से भभुआ	धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, अंबिकापुर
29	रायपुर से डाल्टेनगंज	बिलासपुर, अंबिकापुर, रामानुजगंज, गढ़वा, गढ़वारोड, डाल्टेनगंज
30	रायगढ़ से हरिहरगंज	पत्थलगांव, अंबिकापुर, रामानुजगंज, गढ़वारोड स्टेशन, छतरपुर
31	रायगढ़ से सासाराम	पत्थलगांव, अंबिकापुर, डाल्टेनगंज, औरंगाबाद, डेहरीआनसोन
32	जशपुरनगर से देवघर	लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, बगोघर, गिरीडीह
33	जशपुरनगर से दरभंगा	बरोनी, समस्तीपुर
34	अंबिकापुर से आरा	रामानुजगंज, डाल्टेनगंज, औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर
35	जशपुरनगर से भागलपुर	लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, बगोघर, गिरीडीह, देवधर
36	कोरबा से छपरा	घरघोडा, अंबिकापुर, डाल्टेनगंज, औरंगाबाद, पटना
37	सनावल से गढ़वारोड	रामचन्द्रपुर, रामानुजगंज, गोदरमना, रंका, गढ़वा
38	वसुंधरा से सारंगढ़	सम्बलपुरी, रायगढ़
39	वाड्रफनगर से गढ़वारोड	त्रिकुंडा, रामानुजगंज, गोदरमना, रंका, गढ़वा

2. **जगदलपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत -**

40	जगदलपुर से दोरनापाल	दरभा, छिंन्दगढ़, सुकमा
41	जगदलपुर से दन्तेवाड़ा	दरभा, छिन्दगढ़, सुकमा, नकूलनार, गादीरास
42	महासमुंद से बान्दे	आरंग, रायपुर, अभनपुर, धमतरी, कांकेर, भानुप्रतापपुर
43	कांकेर से रेंगावाही	बढगांव, पखांजूर, पी. व्ही-92, बान्दे
44	रायपुर से बारसूर	अभनपुर, धमतरी, चरामा, कांकेर, कोण्डागांव, जगदलपुर, गीदम
45	हल्वा से पी. व्ही.-54	कांकेर, भानुप्रतापपुर, कापसी, पखांजूर, बान्दे
46	बान्दे से रायपुर	भानुप्रतापपुर, कांकेर, चारामा, धमतरी, अभनपुर
47	मर्दापाल से रायपुर	बम्हनी, कोण्डागांव, नारायणपुर, भानुप्रतापपुर, दल्ली, लोहारा, देवरी, राजनांदगांव, दुर्ग
48	कोण्डागांव से रायपुर	बेनूर, नारायणपुर, भानुप्रतापपुर, दल्ली, लोहारा, देवरी, राजनांदगांव, दुर्ग
49	भानुप्रतापपुर से रायपुर	दल्ली, बालोद, दुर्ग, कुम्हारी
50	बान्दे से रायपुर	भानुप्रतापपुर, दल्ली, बालोद, दुर्ग, पावर हाउस, कुम्हारी
51	बान्दे से दुर्ग	भानुप्रतापपुर, दल्ली, बालोद
52	कांकेर से बोडला	दल्ली, बालोद, राजनांदगांव, गण्डई, कवर्धा
53	कांकेर से पी. व्ही.-54	भानुप्रतापपुर, कापसी, पखांजूर, बान्दे
54	बैलाडीला से समेली	पालनार, कलेपाल

(1)	(2)	(3)
55	पुषपाल से दन्तेवाडा	तोंगपाल, कुकानार, मिचनार, बडेगुडरा, नकूलनार
56	जगदलपुर से बडे गुडरा	गीदम, दन्तेवाडा, नकूलनार
57	जगदलपुर से पखनार	केशलूर, राजूर, चितापुर, हल्वा, कटेनार
58	जगदलपुर से रतेंगा	घोटिया, मुण्डागांव, देवडा, सोनारपाल, बस्तर, आसना
59	मटनार से जगदलपुर	मंगनार, मूली, किंजोली, बोरपदर, आसना
60	जंगदलपुर से मूली	आसना
61	जगदलपुर से बडी चट्टी	दरभा, सुकमा, केरला पाल
62	किरन्दूल से नकूलनार	चोलनार, पालनार
63	किरन्दूल से बडे गुडरा	बचेली, भांसी, दन्तेवाडा
64	किरन्दूल से नकूलनार	बचेली, भांसी, दन्तेवाडा
65	किरन्दूल से कूकानार	बचेली, भांसी, दन्तेवाडा, नकूलनार
66	नारायणपुर से बैलाडीला	बेनुर, कोण्डागांव, जगदलपुर, गीदम, दन्तेवाडा, बचेली
67	नारायणपुर से भोपालपटनम्	बेनुर, कोण्डागांव, जगदलपुर, गीदम, बीजापुर
68	ओरछा से भोपालपटनम्	बेनुर, कोण्डागांव, जगदलपुर, गीदम, बीजापुर
69	कोण्डागांव से भोपालपटनम्	भानपुरी, जगदलपुर, गीदम, बीजापुर
70	कोण्डागांव से बैलाडीला	जगदलपुर, गीदम, दन्तेवाडा, भांसी, बचेली
71	सुकमा से कूकानार	गादीरास, कोर्रा, भूसाराम, मिचनार
72	सुकमा से कूकानार	गादीरास, गोरली
73	नारायणपाल से कोण्डागांव	घोटिया, मुण्डागांव, भानपुरी
74	मुंगापदर से जगदलपुर	मोहलई, फरासागुडा, भानपुरी, बस्तर
75	कोण्डागांव से मुलमुला	बफना, चिपावण्ड
76	चारामा से नरहरपुर	हाराडुला, हल्वा, छेपरा
77	वकावण्ड से कोण्डागांव	करपावण्ड, जैबेल, गारेंगा, केसरपाल, भानपुरी, दहीकोंगा
78	जगदलपुर से नगरनार	हाटगुण्डा, पुजारीगुण्डा
79	जगदलपुर से बारासुर	बास्तानार, गीदम
80	बडे राजपुर से जगदलपुर	विश्रामपुरी, कोण्डागांव, बस्तर
81	सालेमेटा से जगदलपुर	मुरकुची, कुम्बली, काफनी, चपका, बस्तर
82	कनेरा से कोण्डागांव	कमेला, करंजी, कोकोडी
83	जगदलपुर से गडिया	कोसानार, मुचागुडा, सारकरगांव, सिरसगुडा, बागनपाल
84	मर्दापाल से जगदलपुर	रतेंगा, घोटिया, सोनारपाल, बस्तर, आसना
85	मूंगापदर से जगदलपुर	मोहलाई, करनपुर, कोंगारपाल, फरसागुडा, भानूपुरी, बस्तर
86	पीडापाल से नगरी	देवरी, मालगांव, कोकपुर, कांकेर, सरोना, दुधावा, बेलर, घटूला, सिहावा
87	राजनांदगांव से बैलाडीला	भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, कोण्डागांव, जगदलपुर, दन्तेवाडा
88	राजनांदगांव से बैलाडीला	बालोद, धमतरी, कांकेर, कोण्डागांव, जगदलपुर, दन्तेवाडा
89	आमाबेडा से बोरई	इर्रागांव, धनोरा, बहीगांव, केशकाल, विश्रामपुरी,
90	जगदलपुर से मलकानगिरी	चॉदली, कोटपाड, बोरीगुमा, जैपुर, व्यापारीगुडा, गोविन्दपाली, माथीली

3. बिलासपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत -

सं क्र.	मार्ग का नाम	व्याहाज
91	पटमा से सोनहत	पोण्डीडीह, उधमपुर, करदेवा, पाराडोल, मनेन्द्रगढ़, कठोतिया, बिहारपुर, भैंसवार
92	बिलासपुर से कसडोल	मस्तुरी, मुलमुला, पामगढ़, ससा, सोनसरी, जोंधरा, अहिल्दा, लवन
93	बिलासपुर से बलोदाबाजार	मल्हार, पचोडी, चिल्हारी, जोंधरा, पण्डरिया, लाहोद
94	बिलासपुर से बलोदाबाज़ार	मल्हार, पचपेढ़ी, मानिकचौरी, झागंचोडा, आमगांव, करही, केकरी
95	चांपा से बलोदाबाजार	जांजगीर, पामगढ़, ससहा, जोबरा, पण्डरिया, चिचिरदा, लाहोद
96	बिलासपुर से पिथोरा	मल्हार, पचपेढ़ी, जोंधरा, चिल्हारी, लवन, क़सडोल
97	बिलासपुर से कटगी	मस्तूरी, मल्हार, पचपेढ़ी, जोगरा, लवन, अहिल्दा, कसडोल
98	चांपा से कसडोल	जांजगीर, पामगढ़, ससहा, जोगरा, लवन
99	अंबिकापुर से जशपुर	रघुनाथपुर, लूडरा, नागम, सारूढ़ाव, सोनगेरसा, गायगुडा, कैलाशगुफा, रोनी, पण्ड्रपाट, सन्ना, जशपुर.
100	लोरमी से खुडिया	खम्ही, अखरार
101	लोरमी से बघमार	खाम्ही, लगरा
102	चर्चा से देवनगर	खाडा, कसरा, तरगवा, अमहर, ब्रासन, सरमीना, कुडेली, मांझा, बरघेल
103	बैंकुठपुर से मनेन्द्रगढ़	सलवा, बजारीडांड, डुबडोला, खड़गंवा, शिवपुरी, उद्यनापुर, पोंडीडीह, झगराखाण्ड, लेदरी
104	सिवनी से केशवाही	मरवाही, बरोर, बेलझरिया, आमाडांड, राजनगर, बिजुरी, कोतमा
105	मनेन्द्रगढ़ से पिपरिया	लेदरी, झगराखाण्ड, शांतिनगर, आमाडांड, मरवाही, कोटमी, पसान
106	मनेन्द्रगढ़ से शिवरीनारायण	लेदरी, पोंगापानी, शांतिनगर, मरवाही, पेण्ड्रारोड, केंवची, अचानकमार, बिलासपुर
107	चर्चा से देवनगर	खाडा, कसरा, कंचनपुर, आमापारा, भखार, चारपारा, सक्तिपारा, कुदमनारा, माझा, बरझोल.
108	चर्चा से सूरजपुर	खांडाकसरा, कंचनपुर, आमापारा, भखार, चारपारा, सक्तिपारा, कदमनारा, कुडेली, माझा, बरछोल.
109	पटमा से सोनहत	दुखछोला, पाराडोल, मनेन्द्रगढ़, कठोतिया, बिहारपुर, भैंसवार, सोनहत
110	बिलासपुर से चांपा	राजकिशोर नगर, तोरंबा, मस्तूरी, मूलमुला, बनाहिल, अकलतरा, जांजगीर
111	बिलासपुर से भटगांव	मस्तूरी, मूलमुला, पामगढ़, राहोद, शिवरीनारायण, गिधोरी, पौंनी, बिलाईगढ़
112	बिलासपुर से गिंधोरी	मस्तूरी, मूलमुला, पामगढ़, राहोद, शिवरीनारायण
113	टूण्ड्रा से बिलासपुर	गिंधोरी, शिवरीनारायण, राहोद, पामगढ़, मूलमुला, मस्तूरी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 7 अप्रैल, 2007

क्रमांक/2729/भू-अर्जन/2007.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पटपर प.ह.नं. 31	15.69	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग राजनांदगांव.	भरुवाटोला जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़,छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 3 अप्रैल 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कांटाझरिया, प.ह.नं. 36	4.584	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 अप्रैल 2007

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	देवगांव, प.ह.नं. 42	1.824	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 अप्रैल 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	सलिहारी, प.ह.नं. 36	1.649	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ .	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 अप्रैल 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कचकोबा, प.ह.नं. 36	0.863	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 अप्रैल 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	तमनार, प.ह.नं. 42	4.552	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 अप्रैल 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	गोरकामुड़ा, प.ह.नं. 36	14.916	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला जांजगीर-चांपा, (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल, 2007

क्रमांक 52.— चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन —
(क) ज़िला - जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील - पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम - कोसीर, प.ह.नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.061 हेक्टेयर

	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	729/7	0.016
	729/11	0.045
योग -	2	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ससहा डि.ब्यू. के अंत. कोसीर माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जाँजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जाजंगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक 53.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला - जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील - पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम - डोगा कोहरौद, प.ह.नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.061 हेक्टेयर

	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	852	0.061
योग -	1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखोद माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जाँजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जाजंगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक 54.— चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला - जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील - पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम - ससहा, प.ह.नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.056 हेक्टेयर

	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	549/4	0.028
	589/1	0.028
योग -	2	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ससहा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जाँजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जाजंगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक 55.— चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला - जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील - पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम - भिलौनी, प.ह.नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.053 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
984/1	0.053
योग - 1	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धनगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जाँजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जाजंगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक 56.— चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
(क) जिला - जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील - पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम - भिलौनी, प.ह.नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.045 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
674/1	0.045
योग - 1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोशला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जाँजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एल.तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.